न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 39/2015

अपीलांट

कीकाराम पुत्र मानारामजी मेघवाल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. भगवानाराम पुत्र कूपाराम मेघवंशी निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली।
2. सकाराम पुत्र मानाजी मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली।
3. सरकार जरिये तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02

सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा पत्रावली संख्या एफ.12 (3)राज/रास्ता/2015/480 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पूर्व प्रस्तावित रास्ते के लिए खसरा नंबर 926 के उतरी सीमा पर खसरा नंबर 925 चुन्नीलाल पुत्र देवाजी की खातेदारी है तथा उसके बाद खातेदार बक्ताराम का खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नंबर 924 है तथा आगे के दोनो खसरा नंबर 923 व 922 खुद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के है। इस कारण अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की खातेदारी खसरा नंबर 921 की दक्षिणी सीमा पर रास्ते 15 मीटर चौडा रास्ता हेतु जमीन काट देने पर शेष जमीन अपीलांट की खातेदारी में 0.4300 हैक्टेयर यानि 2 बीघा 13 बिस्वा में से केवल एक छोटी पट्टी शेष रहती है। इस प्रकार उक्त प्रावधान की मंशा किसी खातेदार की जमीन के आवेदक की सुविधा हेतु रास्ते के उपयोग हेतु प्राप्त करने से अन्याय की स्थिति हो गई है। चूंकि आवेदन भगवानाराम के प्रस्तावित रास्ते को लोक अदालत में बदल देने में अपीलांट व उसके भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कोई सहमति नहीं ली गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तावित रास्ता सुगम व सुविधाजनक होना दर्शाया गया है। यह उदेश्य धारा 251ए की मंशा के विरूद्ध है। सन्दर्भित धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के सुविधाजनक उपयोग के लिए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट शिवतलाव में वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ते से हटकर जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध होना तथा निकटतम मार्ग अपीलाण्ट की भूमि में से प्रस्तावित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खसरा नंबर 922 व 923 ग्राम शिवतलाव में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की खातेदारी भूमि में से 15 मीटर चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर किसी प्रकार की टिप्पणी की एवं न ही उसे रेखांकित किया। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में इन तथ्यों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया, वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 926 होना जाहिर किया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जानी थी, जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है, जिसके कारण जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी बाली द्वारा पत्रावली संख्या एफ.12 (3)राज/रास्ता/2015/480 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली